



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232840
CG-DL-E-24012022-232840

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943

No. 42]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 24 जनवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/65.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 में, -
 - I. अनुसूची में दी हुई सारणी में, कॉलम 2 में, शब्दों तथा चिह्नों "कुल पदों में से दो-तिहाई पद आंतरिक अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) से और बाकी के एक-तिहाई पद प्रतिनियुक्ति / संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर भरे जाएंगे।" के स्थान पर, शब्द तथा चिह्न "कुल पदों में से दो-तिहाई पद आंतरिक अभ्यर्थियों (उम्मीदवारों) से और एक-तिहाई पद (जो तीन से अधिक नहीं होंगे) प्रतिनियुक्ति (डेप्यूटेशन) / संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) आधार पर भरे जाएंगे।" आ जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./598/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001, का.आ. सं. 857(अ), 6 सितम्बर 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2001 तत्पश्चात् –
 - (क) 23 दिसम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/15/2003, द्वारा
 - (ख) 25 मई 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2004, का.आ. सं. 623(अ), द्वारा
 - (ग) 11 अप्रैल 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2007, फा.सं. 11/एल सी/जी एन/2006/2143, द्वारा
 - (घ) 14 जनवरी 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2009-10/28/190983, द्वारा
 - (ङ) 12 अक्तूबर 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2010-11/17/22954, द्वारा
 - (च) 10 अक्तूबर 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2011-12/26/31671, द्वारा
 - (छ) 2 मई 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 2012-13/03/5290, द्वारा
 - (ज) 19 नवम्बर 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ जी.एन./2012-13/22/5429, द्वारा
 - (झ) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-2014/27/6721, द्वारा
 - (ञ) 26 फरवरी 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/22/366, द्वारा
 - (ट) 21 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.ई./जी.एन. 2015-16/002, द्वारा
 - (ठ) 30 नवम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/016, द्वारा
 - (ड) 15 दिसम्बर 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/024, द्वारा
 - (ढ) 27 अप्रैल 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/001, द्वारा
 - (ण) 17 मई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/002, द्वारा
 - (त) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/010, द्वारा

- (थ) 27 अप्रैल 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/09, द्वारा
- (द) 31 मई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/18, द्वारा
- (ध) 13 अगस्त 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/29, द्वारा
- (न) 8 मई 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/15, द्वारा
- (प) 5 अगस्त 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/26, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th January, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/65.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001—
 - I. in the Table under the Schedule, in column 2, the words, numbers and symbols, “*2/3rd of the total posts from internal candidates and the remaining 1/3rd to be filled up by deputation/contract.*” shall be substituted with the words, numbers and symbols, “*2/3rd of the total posts from internal candidates and 1/3rd posts, not more than 3, to be filled up by deputation/contract.*”.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Ext./598/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were published in the Gazette of India on 6th September, 2001 vide S.O. No. 857(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) Regulations, 2001, were subsequently amended on –
 - (a) On 23rd December, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI/LE/15/2003.
 - (b) On 25th May, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2004 vide S.O. No.623 (E).
 - (c) On 11th April, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No.11/LC/GN/2006/2143.
 - (d) On 14th January, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LADNRO/GN/2009-10/28/190983.

- (e) On 12th October, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2010 vide notification No. LAD-NRO/GN/2010-11/17/22954.
- (f) On 10th October, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2011 vide notification No. LAD-NRO/GN/2011-12/26/31671.
- (g) On 2nd May 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LADNRO/GN/2012-13/03/5290.
- (h) On 19th November 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/223/5429.
- (i) On 8th October, 2013 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2013 vide notification No. LADNRO/GN/2013-14/27/6721.
- (j) On 26th February, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/22/366.
- (k) On 21st April, 2015 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide notification No. SEBINRO/OIAE/GN/2015-16/002.
- (l) On 30th November, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/016.
- (m) On 15th December, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/024.
- (n) On 27th April, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/001.
- (o) On 17th May, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2017-18/002.
- (p) On 13th July, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/010.
- (q) On 27th April, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/09.
- (r) On 31st May, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/18.
- (s) On 13th August, 2018 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/29.
- (t) On 8th May 2019 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/15.
- (u) On 5th August, 2020 by Securities and Exchange Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/26.